न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 61/2020 (2020/00061)

1. जगदीश पुत्र उदमी राम
2. दिनेश पुत्र देवी लाल पुत्र उदमी राम
3. रवि पुत्र करणी सिंह पुत्र रामचन्द्र
4. विजय पुत्र करणी सिंह पुत्र रामचन्द्र

} जाति जाट निवासी आदर्श नगर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

--अपीलार्थीगण

बनाम

1. हरपत राम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी आदर्श नगर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. मैना देवी पुत्री रामचन्द्र पत्नी जीवन राम जाति जाट निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा।
3. कृष्णा पुत्री रामचन्द्र पत्नी जयचन्द जाति जाट निवासी घमूड़वाली तहसील पदमुर जिला श्रीगंगानगर।
4. कमला पुत्री रामचन्द्र पत्नी भीमसैन जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. संतरो पुत्री रामचन्द्र पत्नी रिछपाल जाति जाट निवासी चक 28 एन डी आर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. राममूर्ति
7. कलावती
8. सुलोचना
9. सरोज

} पुत्रियां उदमी राम जाति जाट निवासी आदर्श नगर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

10. बिरमा देवी पत्नी देवीलाल पुत्र उदमी राम जाति जाट निवासी आदर्श नगर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
11. राकेश पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी आदर्श नगर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
12. शकुन्तला देवी पत्नी करणी सिंह पुत्र [illegible] जाति जाट निवासी आदर्श नगर, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (विलोपित दिनांक 26.12.2018)
13. संतोष पुत्री करणी सिंह पत्नी रणवीर जाति जाट निवासी चक [illegible] जी डी (जैतसर) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:46:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

14. सुनीता पुत्री करणी सिंह पत्नी मल्लूराम
15. सुमन पुत्री करणी सिंह पत्नी ओम प्रकाश
16. सरोज पुत्री करणी सिंह पत्नी हंसराज
} जाति जाट निवासी खोड़ा 2सी एल डी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

17. रेणू पुत्री करणी सिह पत्नी राधेश्याम जाति जाट निवासी चक 6 बी जी डी (जैतसर) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
18. प्रबन्धक कॉर्पोरेशन बैंक शाखा हनुमानगढ़ टाऊन।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हनुमानगढ़।
20. बनवारी पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी आदर्श नगर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़, दिनांक 11.03.2020,
प्रकरण संख्या 61/2017

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

उपस्थितिः—
श्री विजय कुमार कौशिक, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री देवी लाला भाम्भु, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
श्री रविन्द्रनाथ जिन्दल, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 18
श्री रविन्द्र भोभिया, राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 05.08.2021

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 का पेश कर रामचन्द्र के परिवार की वंशावली दर्शाते हुए कथन किया कि चक 14 एन डी आर के पत्थर नम्बर 152/362 (42) के किला नम्बर 6 से 20 की 3.554 हैक्टेयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 7/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 से 14 का बहिस्सा बराबर 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पत्थर नम्बर 152/362 के किला नम्बर 1 से 20 की कुल 19.[illegible] को जरिये वसीयत मिली हुई स्वयंअर्जित खातेदारी [illegible]क 07.01.2002 को अपने तीनों पुत्रों हरपत राम [illegible] पुत्री उदमी व करणी सिंह के पक्ष में 9.10 बीघा भूमि की वसीयत की [illegible] जिसमें से किला नम्बर 1 से 5 की

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:46:49 IST
Reason: SelfAttested

5 बीघा भूमि का बेचान वादी की माता ने अपने जीवन काल में कर दिया था तथा शेष 14.11 बीघा भूमि की वसीयत वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 तथा प्रतिवादी संख्या 7 से 14 के पिता/पति करणी सिंह के पक्ष में यथावत रही। उसी अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है, लेकिन राजस्व रिकार्ड में सहबन से विरास्तन इन्तकाल के आधार पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम 7/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 से 14 के नाम 1/8 हिस्सा का अंकन हो गया जिससे वादी ने दुरूस्त करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को कहा, किन्तु वे इन्कार हो गये। वसीयत के अनुसार ही वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 14 के कब्जा काश्त में भूमि चली आ रही है। वादी ने वाद पत्र की मद संख्या 5 की उप मद क, ख के अनुसार कब्जा काश्त होने का कथन किया एवं इसी अनुसार वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

2. वाद पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब करने के आदेश दिये। प्रतिवादी संख्या 2 से 5, 1, 6, 8 व 9 ने जवाब दावा पेश कर दावा स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं किया। सुनवाई करने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.03.2020 को वादी का वाद स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जिस भूमि के संबंध में वसीयत के आधार पर वाद डिक्री करते हुए विभाजन किया है। उक्त भूमि का मिलान वसीयत में अंकित भूमि से नहीं होता है। आशा देवी ने वसीयत दिनांक 07.01.2002 से अपीलांट संख्या 1 व रेस्पोडेंट संख्या 6 से 9 के पिता व अपीलांट संख्या 2 के दादा उदमी व अपीलांट संख्या 2, 4 व रेस्पोडेंट संख्या 13 से 17 के पिता व रेस्पोडेंट संख्या 12 के पति करणी सिंह के नाम 9.10 बीघा भूमि का विवरण अंकित है। जिस भूमि का विवरण अंकित है उसके आधार पर डिक्री पारित क्यों नहीं की जा सकती, इसका कारण अपीलाधीन आदेश में नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेज का किसी प्रकार से अवलोकन नहीं किया गया। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री जारी किये [illegible] र दी, जबकि नियमानुसार राजस्थान काश्तकारी [illegible] में प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना आज्ञापक प्राव[illegible] पारित होने के पश्चात् लोकडाउन लगने के कारण समय अवधि के अन्दर अपील पेश नहीं की जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:46:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सकी। तत्पश्चात् नकलें प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारों को सुनकर निर्णय देने हेतु रिमाण्ड किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने 2011 आर आर टी 229, 2006 आर बी जे 400 की नजीरें पेश की।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दोनों पक्षों की सहमति से पारित किया गया है जिसकी अपील नहीं हो सकती। डिक्री वाली भूमि व आदेश में पारित भूमि कैसे भिन्न है यह स्पष्ट नहीं किया है। जहां पक्षकारों में सहमति हो वहां प्राथमिक डिक्री नहीं किये जाने का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 11.03.2020 के विरूद्व दिनांक 22.06.2020 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है जिसका खण्डन रेस्पोडेंट द्वारा प्रत्युतर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

8. जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 53 का पेश किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 से 5, 1, 6, 8 व 9 जवाब दावा पेश कर वाद स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं किया, किन्तु अपीलांट का यह तर्क रहा है कि वसीयत में अंकित भूमि व अपीलाधीन आदेश में अंकित भूमि भिन्न है जिसका वसीयत से मिलान नहीं होता। यह बिन्दु जांच का है एवं ऐसी जांच दोनों पक्षों को सुनकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना अपेक्षित रहता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के वाद में प्राथमिक डिक्री किया जाना आज्ञापक प्रावधान है, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किया जाना नहीं पाया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट [illegible] अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्[illegible] की पालना किया जाना भी नहीं पाया जाता है। [illegible] ने कानूनी प्रावधानों को

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:46:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

दृष्टिगत रखे बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.03.2020 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वसीयत में वर्णित भूमि का मिलान करते हुए, नियम 18 से 21 की पालना करते हुए दोनों पक्षों को सुनकर विधिवत रूप से पुनः निर्णय पारित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 05.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/8/2021

(करतारसिंह पूनिया) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:46:49 IST
Reason: SelfAttested